न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :— 21/2019

शीर्षक

1. चौथूराम दत्तक पुत्र स्व0 गंगाराम उर्फ गंगल्या, जाति धोबी, निवासी करीरी तह0 शाहपुरा जयपुर राज0 (मृतक दौराने विचरण)
   1/1 हीरा देवी पत्नि चौथू
   1/2 पप्पूलाल माहोर } पि0 चौथू जाति धोबी निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जयपुर
   1/3 प्रहलाद माहोर }
   1/4 संतोष पुत्री चौथू पत्नि अमरचन्द जाति धोबी निवासी हनुतियां तहसील शाहपुरा जयपुर
   1/5 सुणी पुत्री चौथू पत्नि फूलचन्द जाति धोबी निवासी जैतपुरा तहसील चौमू जयपुर

—वादी

बनाम

1. प्रभात पुत्र रूडा उर्फ रूडिया (मृतक दौराने विचरण)
   1/1 भंवरलाल }
   1/2 रतनलाल } पि0 प्रभात जाति धोबी निवासी करीरी
   1/3 बनवारी }
   1/4 सुरजी पत्नि प्रभात जाति धोबी निवासी करीरी
   1/5 सीता पुत्री प्रभात पत्नि बलजी धोबी निवासी देवन तहसील शाहपुरा
   1/6 गीता पुत्री प्रभात पत्नि पांचू धोबी निवासी देवन तहसील शाहपुरा
   1/7 मक्खनलाल } पि0 प्रभात जाति धोबी निवासी करीरी
   1/8 किशनलाल }
2. गो... पुत्र रूडा उर्फ रूडिया
3. शांति पुत्री रूडा उर्फ रूडिया
4. रूकमणी पुत्री रूडा उर्फ रूडिया
5. गुलाब देवी पुत्री रूडा उर्फ रूडिया
   समस्त जाति धोबी निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारक दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गतद धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

निर्णय दिनांक 13/1/2023

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 23/0.06, 103/0.11, 104/0.27 कुल किता 3 रकबा 0.44 है0 वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी हिस्सा 1/ 2 में रूडिया बाला पि0 चन्दरा कौम धोबी के नाम खातेदारी दर्ज है।
2. हाल आराजी खाता संख्या 989 के खसरा नम्बर 944/1.37, 1166/0.53 कुल किता 2 रकबा 1.90 है0 वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी गंगल्या पुत्र चन्दा, प्रभात गुल्ला गोपाल पि0 रूडिया के नाम खातेदारी दर्ज हाल है।
3. उक्त आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमियां है जो वादी व प्रतिवादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम व सम्मानजनक नाम दर्ज नही होने के कारण बुजुर्गान के नाम खातेदारी चली आ रही है वादी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:—

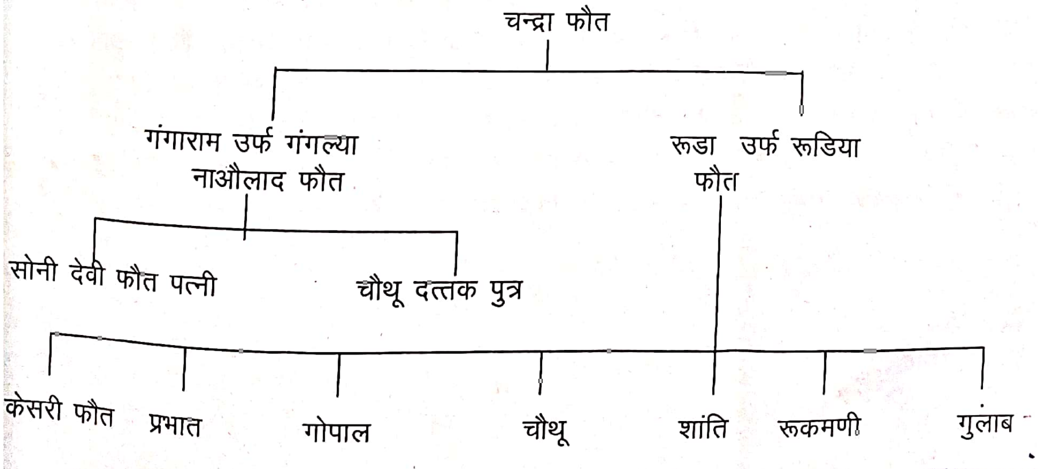

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

यानि वादी के दादा स्व0 चन्द्रा हुऐ जिनके 2 पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या व रूडा उर्फ रूडिया हुए जिसमें गंगाराम बडे पुत्र की पत्नी सोनी देवी फौत हो चुकी है तथा उक्त गंगाराम नाऔलाद फौत हुआ है जिसके बाल्यकाल में पारिवारिक व सहमति से वादी हिन्दू रीति रिवाज से गोद चला गया था तभी से मृतक गंगाराम के पास रहा तथा रूडा के तीन पुत्र कमशः प्रभात, गोपाल व वादी चौथू हुऐ जिनमें वादी गोद चले जाने से रूडा के हक में दो पुत्र प्रभात गोपाल व तीन पुत्रीयां शांति देवी, रूकमणी देवी, गुलाब देवी विधिक वारिसान है तथा पत्नी केसरी देवी फौत हो चुकी है इस प्रकार मृतक गंगाराम उर्फ गंगल्या का वादी दत्तक पुत्र होकर विधिक वारिसान है तथा मृतक की सम्पति विरासत में प्राप्त करने का अधिकारी है।

4. उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा हिस्सा 1/2 रूडिया काला पुत्र चन्दरा दर्ज है जिसमें चन्दा के काला नाम का कोई पुत्र नही था जबकि गंगल्या को ही काला,गंगल्या, काला गंगू गंगाराम नाम से पुकारते थे इस कारण रूडिया व गंगल्या उर्फ गंगाराम पुत्र चन्दा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था जबकि टंकण गलती से लिपिकीय त्रुटि के कारण काला ही दर्ज रहा जो काबिले दुरूस्ती है इस प्रकार वाद जिका में प्रभात गुल्ला गोपाल पि0 सडिया दर्ज है जबकि गुल्ला नाम का मृतक सादिया के पुत्र नही है जो प्रभात गोपाल की रूडिया उर्फ रूडा सही व दुरूस्त है जो काबिले दुरूस्ती है।

5. वादी ने प्रतिवादी को कई मर्तबा रिकार्ड दुरूस्ती करवाकर विरासत नामान्तरण करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण रिकार्ड दुरूस्ती हेतु तैयार नही हुये तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम निरन्तर चली आ रही है तथा वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 के कार्यालय में भी विरासत नामान्तकरण हेतु निवेदन कर चुके है परन्तु उन्होने ने भी रिकार्ड दुरूस्ती में सक्षम नही होने का बहाना बनाकर टालमटोल कर दी तथा प्रतिवादीगण ने एक सप्ताह पूर्व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु स्पष्ट रूप से इंकारी होने पर वादी को अपने विधिक अधिकारों की सूचनार्थ वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

6. अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 23/0.06, 103/0.11, 104/0.27 कुल किता 3 रकबा 0.44 है0 वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में रूडिया काला पुत्र चन्दा की जगह रूडिया गंगल्या उर्फ गंगाराम पुत्र चन्दरा दुरूस्त किया जाकर हिस्सा 1/2 की खातेदारी में सजरा खानदान के मुताबिक वादी को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं आराजी खसरा नंबर 944/1.37, 1166/0.53 कुल किता 2 रकबा 1.90 है0 वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में गुल्लाराम का नाम हजफ फरमाया जाकर गंगल्या पुत्र चन्द्रा की जगह वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत तलबी की गई। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.11.2021 को उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया तथा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तथा प्रतिवादीगण की ओर से दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा वादपत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि वादपत्र के जिमा नं0 1 में वर्णित आराजी साबिक रिकार्ड में रूडिया काल्या पि0 चन्द्रा हि0 1/2 के नाम दर्ज रही हैं तथा वर्तमान रिकार्ड में काला पुत्र चन्दरा हि01/4 व रूडिया पुत्र चन्दरा हि0 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादपत्र के सजरा खानदान अनुसार काला पुत्र चन्दरा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है अर्थात काला नाम सहवन से दर्ज होना साबित होता है जबकि वास्तविक खातेदार गंगाराम उर्फ गंगल्या के दत्तक पुत्र चौथू का नाम होना चाहिए था । इसी प्रकार वादपत्र के जिमा नं0 2 अंकित आराजी साबिक रिकार्ड में गंगल्या पुत्र चन्द्रा, प्रभात गुल्ला, गोपाल पि0 रूडिया हिस्सा 1/2 दर्ज रही हैं तथा वर्तमान रिकार्ड में भी दर्ज आ रही है जबकि रूडिया के गुल्ला नाम का कोई पुत्र नहीं है । जिससे जाहिर होता है कि गंगल्या पुत्र चन्द्रा के हिस्सा 1/4 के बजाय हि0 1/8 दर्ज किया है तथा 1/8 हिस्सा गुल्ला पुत्र रूडिया के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि रूडा उर्फ रूडिया के गुल्ला नाम का कोई पुत्र नहीं है । प्रतिवादीगण ने जी अपने जवाबदावा में एकबालिया जवाब पेश कर वाद पत्र के मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रकरण में पेश दस्तावेजात एवं वकील वादी की बहस तथा प्रतिवादीगण के एकबालिया जवाब के आधार पर दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

अतः वादपत्र वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 0.11 है0, 104 रकबा 0.27 है0, 23 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 रकबा 0.44 है0 याके ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में दर्ज खातेदारी काला पुत्र चन्दरा हि0 1/4 व रूडिया पुत्र चन्दरा हिस्सा 1/4 को हजफ कर वादीगण को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 944 रकबा 1.37 है0, 1166 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में दर्ज खातेदारी गंगल्या पुत्र चन्द्रा हि0 1/8 व गुल्ला पुत्र रूडिया हि0 1/8 को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक ....13/1/23.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 21/2019

शीर्षक

2. चौथूराम दत्तक पुत्र स्व0 गंगाराम उर्फ गंगल्या, जाति धोबी, निवासी करीरी तह0 शाहपुरा जयपुर राज0 (मृतक दौराने विचरण)
   1/1 हीरा देवी पत्नि चौथू
   1/2 पप्पूलाल माहोर } पि0 चौथू जाति धोबी निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जयपुर
   1/3 प्रहलाद माहोर }
   1/4 संतोष पुत्री चौथू पत्नि अमरचन्द जाति धोबी निवासी हनुतियां तहसील शाहपुरा जयपुर
   1/5 सुणी पुत्री चौथू पत्नि फूलचन्द जाति धोबी निवासी जैतपुरा तहसील चौमू जयपुर

–वादी

बनाम

1. प्रभात पुत्र रूडा उर्फ रूडिया (मृतक दौराने विचरण)
   1/1 भंवरलाल }
   1/2 रतनलाल } पि0 प्रभात जाति धोबी निवासी करीरी
   1/3 बनवारी }
   1/4 सुरजी पत्नि प्रभात जाति धोबी निवासी करीरी
   1/5 सीता पुत्री प्रभात पत्नि बलजी धोबी निवासी देवन तहसील शाहपुरा
   1/6 गीता पुत्री प्रभात पत्नि पांचू धोबी निवासी देवन तहसील शाहपुरा
   1/7 मक्खनलाल } पि0 प्रभात जाति धोबी निवासी करीरी
   1/8 किशनलाल }
2. गोपाल पुत्र रूडा उर्फ रूडिया
3. शांति पुत्री रूडा उर्फ रूडिया
4. रुकमणी पुत्री रूडा उर्फ रूडिया
5. गुलाब देवी पुत्री रूडा उर्फ रूडिया
   समस्त जाति धोबी निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारक दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गतद धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक 13/1/23

अतः वादपत्र वादीगण के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 0.11 है0, 104 रकबा 0.27 है0, 23 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में दर्ज खातेदारी काला पुत्र चन्दरा हि0 1/4 व रूडिया पुत्र चन्दरा हिस्सा 1/4 को हजफ कर वादीगण को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 944 रकबा 1.37 है0, 1166 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में दर्ज खातेदारी गंगल्या पुत्र चन्द्रा हि0 1/8 व गुल्ला रूडिया हि0 1/8 को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/1/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प ...... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	